मैं भी उन विचारों के साथ अपने आपको सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहूंगी जबकि हम लोग देश भर में आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं इस अवसर पर अगर हम बीड़ी वर्कर्स के लिए कुछ कर सके तो मुझे लगता है कि सही राहत उन्हें देने की कोशिश करेंगे।

श्री एस० एस० अहलुवालिया (बिहार): मैडम, उर्मिलाबेन जी भी कुछ बोलना चाहती हैं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप लोग मौका नहीं देते हैं कुछ कहने के लिए। मेरे सामने उनका नाम रखा हुआ है। Don't be impatient. I was about to call her name.

डा० (श्रीमती] उर्मिला चिमनभाई पटेल (गुजरात): मैडम, मैंने सोचा कि आप समाप्त कर रही हैं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): महिलाओं को हम इतना इग्नोर नहीं करते हैं यहां बैठकर।

डा० (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल : मैडम, बीडी मजदूरों का सवाल हमारे गुजरात में भी यह गृह उद्योग के रूप में चल रहा है और ज्यादातर महिलाएं और बच्चे इसमें काम कर रहे हैं। जहां तक इसमें महिलाएं काम करती है, छोटी-छोटी जगह में जहां पर वेंटीलेशन भी ठीक नहीं होता है जिससे उनकी हैल्थ पर भी असर पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं तथा जो बाल मजदूरों की समस्या की हम बातें करते हैं उन लोगों की शिक्षा का संबंध है। लेकिन वह अनपढ़ रहते हैं। उनका जो बाल्यकाल है, वह भी छिन जाता है इसलिए उनकी पर्सनैलिटी का डैवलपमेंट नहीं होता है और तमाम बुरी आदतें छोटी उम्र में ही उनको लग जाती हैं। यह तो हमारी फ्यूचर जैनरेशन है, इसके बारे में सोचना चाहिए। जो उनको इम्पलॉय करने वाले हैं, वह उनकी ऐजूकेशन की सुविधा के लिए प्रोवीज़न करें, ऐसा प्रोवीज़न करना कानून में जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जिस सिचुवेशन में वह काम करते हैं, तम्बाकू के साथ उनका रोज-बरोज का व्यवहार रहता है तो टी०बी० अस्थमा और रैसवीरेटरी डीसीस उनको होते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए हैल्थ सैक्योरिटी का कोई प्रोवीज़न नहीं किया जाता है महिलाएं और बच्चे इसलिए लगाए जाते हैं कि उनको कम तनख्वाह दी जाती है इसलिए नॉर्मल स्टैंडर्ड से बहुत कम मजदूरी उनको मिलती है। ज्यादातर डेली वेजिज़ पर या कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर उनको रखा जाता है और उनका ऐक्सप्लॉयटेशन पूरी तरह से किया जाता है। न तो जॉब सैक्योरिटी है, न उनको छुट्टी के नियमों के अनुसार छुट्टी मिलती है। पेंशन या प्रोवीडेंट फंड की व्यवस्था नहीं है। कानून के मुताबिक उनको रहने के लिए मकान मिलने चाहिए, यह भी नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहती हूं कि कानून में भी जो थोड़े लूपहोल्स है, उनका उपयोग करके ठेकेदार या मालिक लोग उनको कार्ड होल्डर नहीं बनाते हैं और लूपहोल्स का प्रयोग करके उनका खूब ऐक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ऑरग्राइज़ लेबर न होने की बजह से ऑरग्राइज़ लेबर को जो प्रोटैक्शन मिलता है, वह भी उनको नहीं मिलता है। तो यह सब देखते हुए दोनों बातों को याद रखकर—महिलाओं और बच्चों का यह सवाल है तो कानून इस तरह से बानए जाएं कि जिससे इसके लूपहोल्स दूर हो जाएं, उनको पूरी सैक्योरिटी मिले, पूरी तनख्वाह मिले। जो मिनिमम वेज़िज की हम बात करते हैं, वह भी उनको नहीं मिलती है। महोदया, आजादी की पचासवें साल पर इस बात को ध्यान में रखकर श्रम मंत्रालय कोई कानून लेकर आए, ऐसी आपके माध्यम से मैं विनती करती हूं। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

Need for creation of separate State of Uttaranchal Uttarakhand in view of Prime Minister's announcement in this regard from the Red Fort

श्री मनोहर कान्त ध्यानी (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए कहा। आज चार-पांच दिन की प्रतीक्षा के बाद इस विषय पर बोलने का मुझे अवसर मिला है। महोदया, केवल 15 दिन शेष हैं जब 1997 का 15 अगस्त आएगा। पिछले 15 अगस्त को पूर्व प्रधान मंत्री माननीय देवेगौड़ा जी ने लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र की 90 करोड़ जनता को आश्वासन दिया था वचन दिया था, कि वह उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के जो जिले हैं, जो दो कमिश्ररियां हैं उनका एक पृथक राज्य बनाएंगे। अभी हमारे प्रधान मंत्री महोदय कुमाऊं के दौरे पर 21 मई को गये थे और उन्होंने भी वहां कहा कि हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों लोक सभा में और राज्य सभा में भी दो कांग्रेस के सम्मानित सदस्यों ने गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया। मैं इसलिए उनका उल्लेख करना चाहता हूं कि नेहरू जी ने भी 1938 में पांच और छः मई को जब वह श्रीनगर गये थे तो वहां की एक सभा में अपने भाषण में कहा था कि "इस पर्वतीय अंचल के निवासियों को अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं निर्णय लेने तथा स्वयं अपनी लोक संस्कृति को समृद्ध बनाने का अधिकार मिलना चाहिए।" अब जब 1938 से प्रतीक्षा करते हुए

1997 हो गया है। हमारे गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। ये जो वामपंथी दल हैं ये लम्बे समय से इसकी जनवादी मांग कहते रहे हैं और गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, वर्ष 1993 में आपने भी लोक सभा में एक गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया था। लेकिन आज दुखद स्थिति कैसी है कि जब वहां विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह मसला उठाया तो आपने उसके बारे में कहा कि वहां कुछ प्रशासनिक असुविधाएं हैं, प्रदेश को टूटना है, कर्मचारियों को बंटना है। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि जब राजनीतिक आवश्यकता बनी तो पंजाब को बांट दिया गया। क्या उस समय यह प्रश्न आया था जब इस देश में छोटे-छोटे राज्य बन गये जो उत्तरांचल से छोटे आठ राज्य हैं तो क्या यह विषय आया था? यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उत्तरांचल के बारे में वर्तमान सरकार का यह सोचना है। उत्तरांचल की जो स्थिति है वह इस प्रकार की स्थिति है। उत्तरांचल वह क्षेत्र है जिसने शांति के रास्ते को अपनाया है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जितने भी छोटे-छोटे राज्य बने हैं वे शक्ति के बल पर बने हैं, दबाव के बल पर बने हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो केन्द्र की सरकार है, जो गूंगी-बहरी सरकार है, यह 12-13 दलों की सरकार है, क्या यह उस शांत क्षेत्र को उसी रास्ते को अपनाने के लिए बाध्य करना चाहती है? क्या वह समाज को उसी रास्ते पर ले जाना चाहती है? मेरे पास एक अखबार है। उसकी एक हैडिंग है जिसमें एक दल ने जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वह क्षेत्रीय दल है, उसके बारे में लिखा है, उस दल की क्षेत्रीयता के शेर पर सवारी गांठने की तैयारी इसका अर्थ यह है कि सरकार स्वयं लोगों को इस रास्ते पर ले जाना चाहती है और अगर नहीं ले जाना चाहती है तो जो छोटे राज्य हैं वो इन्होंने बनाये है, हिमाचल जिसकी आबादी केवल 51,10,000 के आसपास है, अरूणाचल प्रदेश की केवल 8,58,000 के आसपास है, मणिपुर की 18,26,000 है, मेघालय की 7,17,000 है, सिक्कम की केवल 4,03,000 है, त्रिपुरा की केवल 27,44,000 है, जबकि उत्तरांचल की आबादी पिछली जनगणना के हिसाब से 60 लाख है। जहां तक क्षेत्रफल का सवाल है तो केवल अरूणाचल प्रदेश को छोड़ दें तो हिमाचल से थोड़ी सी ज्यादा 55.7 हजार वर्ग किलो मीटर है। मणिपुर का क्षेत्रफल 22.3 हजार किलो मीटर है, मेघालय का क्षेत्रफल 22.4 हजार किलो मीटर है, मिजोरम का क्षेत्रफल 21.1 हजार किलो मीटर है, सिक्कम का क्षेत्रफल केवल 7.1 हजार किलो मीटर है, त्रिपुरा का क्षेत्रफल 10.5 हजार वर्ग किलो मीटर है और उत्तरांचल का क्षेत्रफल 51.1 हजार वर्ग किलो मीटर है तो इस बारे में केन्द्र सरकार को विचार करना चाहिए कि केन्द्र सरकार उस शांत क्षेत्र के बारे में जो सारे भारत के चिन्तन का, मनन का और श्रृद्धा का क्षेत्र है उसके बारे में कैसा आचरण कर रही है क्या विचार कर रही है। लोग यहां स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ की बात करते हैं। यहां पर कभी गरीबी के बारे में बात आती है, मजदूरों के बारे में बात आती है लेकिन मैं तो राजनीतिज्ञों की वचनबद्धता के बारे में विचार करना चाहता हूं। इस 50 वर्ष के इतिहास में, जो कालखण्ड हमने बिताया है, इस देश के राजनेताओं ने जनता को छलने के लिए झूठे वायदे किए हैं। क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए। देश के प्रधान मंत्री ने जो पूर्व हो चुके हैं लाल किले की प्राचीर से देश की 90 करोड़ जनता को आश्वासन दिया था कि हम उत्तराखंड राज्य बना देंगे। एक वर्ष बीतने को है, केवल 15 दिन शेष है, हमारे गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, उनको इस बारे में इस सदन को बताना चाहिए। लोग निराश हो रहे हैं, उनकी निराशा कुंठा में बदल सकती है, कुंठा में बदलने के बाद लोग उसी खतरनाक रास्ते का अनुसरण कर सकते हैं जैसा कि नागालैंड के लोगों ने किया है, मिजोरम में किया है और जो काश्मीर में हो रहा है। आज लोगों को लगता है कि प्रजातंत्र के रास्ते से, कानून के रास्ते से शायद देश में कुछ नहीं मिल सकता है और लोग उसी रास्ते पर जाने की बात करते हैं। मेरे हाथ में जो अखबार है इस अखबार में उस क्षेत्रीय दल ने कहा है कि 1980 के पहले जिन्होंने जमीनें खरीदी हैं, उनको जमीन खाली कर देनी चाहिए। यह क्या बात सिद्ध करता है। हिमाचल में कुछ क्षेत्रों के लिए ऐसी व्यवस्था हुई होगी, कल उत्तरांचल में यह हो सकता है, किसी सीमान्त क्षेत्र के लिए यह व्यवस्था हो सकती है लेकिन आज भी हम कहते हैं कि हमारा देश एक है, एक जन, एक संस्कृति है, एक राष्ट्र है, यह सारा देश एक है, इसका संविधान एक है और संविधान के एक होने के कारण देश के नागरिक कहीं भी बस सकते है, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी रोजगार कर सकते हैं। परन्तु लोगों में यह विश्वास पैदा हो सकता है कि उनको उस रास्ते पर जाना चाहिए जिस रास्ते पर दूसरे लोग गए हैं। अगर आपने नागालैंड में कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए बाउंड्री बना दी है तो उत्तरांचल लोग भी विचार कर सकते हैं कि उनके स्वार्थों का अगर कुछ ताकतवर लोग अपहरण करते हैं, उस तरफ जाते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? उसके लिए जिम्मेवार हम लोग हैं, जो यहां बैठे हुए हैं। मैं देखता हूं कि कितना समय यहां पर जाया होता है लेकिन जो मुख्य बिन्दु होते हैं उस पर लोग बोलने नहीं देते हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्षेत्र में अशांति का बीज पनप रहा है। यहां माननीय सतपाल जी

बैठे हुए हैं। इनका संसदीय क्षेत्र उसी क्षेत्र में पड़ता है। वे इस सरकार में मंत्री हैं। हमने उनको बार बार कहा है कि सतपाल जी अपनी सरकार को चेताइए, अपनी सरकार को जगाइए वरना यह जो उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र है, मध्य हिमालय का जो यह क्षेत्र है यह क्षेत्र अशांत हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी इस गूंगी, लंगड़ी और बहरी सरकार जो 12-13 दलों की सरकार है, जो क्षेत्रवाद की प्रतीक है, जिसकी रग-रग में क्षेत्रवाद भरा हुआ है और जिसके कारण वहां भी क्षेत्रवाद आ सकता है, उस पर होगी, जो सोचते हैं कि नेशनलिटी का कोई अर्थ नहीं है, देशभक्त रहने का कोई अर्थ नहीं है। मैंने पिछली बार आंकडे दिए थे कि उत्तर प्रदेश की तुलना में वहां के लोगों का सैनिक योगदान कितना है, उत्तर प्रदेश की तुलना में सारे देश के लिए वहां के लोगों का योगदान कितना है। मैं इसको दुबारा दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इसकी प्रक्रिया अभी तक चालू क्यों नहीं की गई? केन्द्रीय सरकार लोगों को बहम में डाल रही है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार तीन बार प्रस्ताव आपको भेज चुकी है और ये तीन प्रस्ताव ऐसे है जो प्रत्येक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते है। इसमें अनुसूचित भी आ गए हैं, इसमें पिछड़े भी आ गए है और इसमें अगड़े भी है। सब के प्रतिनिधि है। यदि केन्द्र सरकार आज इसकी प्रक्रिया शुरू करके इसको राष्ट्रपति को भेजेंगे तो राष्ट्रपति प्रदेश को भेजेंगे। और फिर लोकसभा में पारित होगा, राज्य सभा में पारित होगा। कुछ लोगों के राजनैतिक स्वार्थ के लिए हो सकता है कि बंगाल की अपनी समस्या हो, हो सकता है दूसरे प्रदेशों की अपनी समस्या हो, उनको उत्तरांचल के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। उत्तरांचल न गोरखालैंड है, न उत्तरांचल कोई दूसरी चीज है, उत्तरांचल भारत की आन, बान और शना का प्रतीक है। उत्तरांचल के लोगों ने खून बहाया है अगर उस खून का मूल्य इस प्रकार की उपेक्षा से होता है तो यह एक खतरनाक मैसेज जाएगा और आने वाले समय में अगर लोग गलत रास्ते पर जायेंगे तो यह जो कमजोर सरकार हैं, यह जो दुर्बल सरकार है, यह इसके लिए जिम्मेदार होगी। इसलिए वक्त रहते मैं इस सरकार को चेताना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से चेताना चाहता हूं कि वह वहां के लोगों की आवाज सुने, वहां के लोगों की पीडा को सुने। वहां के लोग ऊब चुके है, सरकारों के वायदों से, ऊब चुके हैं नेताओं की घोषणाओं से ऊब चुके हैं और इससे वे गलत रास्ते पर जा सकते हैं। अगर वहां के लोग गलत रास्ते पर जायेंगे तो इसका जिम्मा इस सरकार का होगा। इसलिए वक्त रहते आप इसी सेशन में, आपने न वहां के लोगों को यह वचन दिया है, इसलिए आप इसी सेशन में यह बिल मूव करिए और उसे राष्ट्रपति को भेजकर इस प्रक्रिया को शुरू करिए। अगर यह राज्य बन गया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह राज्य ऐसा राज्य होगा जो पंजाब से श्रेष्ठ राज्य होगा। जो समृद्धि में उससे भी आगे जाएगा, यह गुजरात से भी आगे जाएगा। इसलिए उसे अपने पैरो पर खड़े होने का अवसर मिलना चाहिए, उन्हें अपने भाग्य का निर्माण का अवसर मिलना चाहिए जैसे नेहरु जी ने कहा था। यह जो हमारे वाम पंथी भाई बैठे हुए हैं उनके पूर्ववर्ती पी०सी० जोशी ने, जब ये दो नहीं हुए थे, ये एक ही दल थे, उन्होंने 1955 में बागेश्वर के सरयू बगड़ की सभा में इसको एक जनवादी मांग कहा था और इसके लिए मरने-मिटने की बात कही थी। आज मैं देख रहा हूं कि उन्हीं लोगों की तरफ से उल्टी गंगा बहाई जा रही है। जनवादी मांग को कहने वाले ही आज इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से इस क्षेत्र की पीड़ा, इस क्षेत्र की अधीरता, इस क्षेत्र में अधीरता पैदा हो रही है, इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र का विचार करना चाहिए और सरकार को इसी अधिवेशन में बिल प्रस्तुत करना चाहिए। महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): ध्यानी जी, आप बहुत बढ़िया बोले आज।

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश): मैं अपने आप को इससे संबद्ध करता हूं और

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): नहीं नहीं। श्री सिब्ते रज़ी।

सैयद सिब्ते रज़ी (उत्तर प्रदेश): मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ध्यानी जी ने यहां रखा है। इस बारे में हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत ही स्पष्ट इस मामले में रहा है कि उत्तराखंड राज्य बनना ही चाहिए। यह इसलिए नहीं कि किसी को हम चैरिटी देने जा रहे है बल्कि इसलिए कि इस प्रदेश के लोगों का हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत के नव-निर्माण में भी बहुत योगदान यहां के लोगों का रहा है। इस मूवमेंट को चलाने में, इस आंदोलन को चलाने में वहां की हमारी बहनों ने, भाईयों ने, पर्वत पुत्रों ने, जो भारत के पुत्र हैं बड़ा योगदान

रहा है, इसके लिए उन्होंने बहुत बलिदान दिया है। मैं समझता हूं कि हमारे इन लोगों ने निश्चितरूप से सौम्यता, सभ्यता और धैर्यशीलता का परिचय दिया है। लेकिन इसकी भी एक सीमा हुआ करती है। पर मैं मानता हूं कि कभी भी शांतिप्रिय नागरिक, उत्तराखंड के हमारे पहाड़ी आंचल के जो लोग हैं वे तथाकथित रूप से आज नागालैंड में जो हो रहा है, गोरखालैंड में जो हो रहा है, किसी और आंचल में जो हो रहा है, वे ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार है, इस सरकार ने वायदा किया है।

इस सदन में कई मर्तवा यह मामले आए। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में इस मसले को हम तीन बार प्रस्ताव की सूरत में पास कर चुके हैं लेकिन निश्चित रूप से जब तक यहां से बिल बन कर नहीं जाएगा, उस पर अनुमति नहीं मिल जाएगी, तब तक वह प्रक्रिया ही शुरू नहीं होगी। गृह मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, इनके प्रधानमंत्री जी ने, यह उनकी केबीनेट में उस वक्त भी गृह मंत्री थे जब देवेगोड़ा जी ने लाल किले की प्राचीर से इस बात की घोषणा की थी। मुझे जहां तक ज्ञान है बिल बन भी चुका है। इसलिए यह एक आश्वासन तो आप यहां पर मौजूद हैं आना ही चाहिये इसी सत्र में। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के संबंध में इस सदन में यह कहा कि इसी सत्र के अन्दर वह बिल आ जाएगा। इस मांग के बारे में जिस पर बहुत खून बह चुका है, मर्यादाएं मिट चुकी हैं, मैं मुजफ्फरनगर कांड की याद दिलाना चाहूंगा, मैं समझता हूं सब भयभीत हो जाते है तो ऐसी स्थिति में सब्र का पैमाना छलकने न पाए, समय रहते आप कोई घोषणा करिये कि इसी सत्र के अन्दर यह बिल आ जाएगा और जो उत्तराखंड राज्य की मांग है, उत्तराखंड कहिये या उत्तरांचल कहिये, सब एक ही है लेकिन निश्चित रूप से राज्य के लोगों को अपना राज्य लेने का हक मिलना चाहिये। आपकी तरफ से यह टाइम बाऊंड एश्योरेंस आनी चाहिये। मेरी पार्टी की तरफ से यह मांग है कि समय रहते आप सचेतें और उत्तराखंड के लोगों का, पहाड़ के आंचल के लोगों का जो हक है वह उनको मिलना चाहिये। हम अपनी पार्टी की तरफ सें इस मांग का पूर्ण समर्थन करते हैं।

†السید سبط رضی "اتر پردیش": میں آپکا دھنّے واد کرتا ہوں۔

یہ ایک بہت ہی مہتو پورن وشے دھیانی جی نے یہاں رکھا ہے کہ اتراکھنڈ راجیہ بننا ہی چاہیئے۔ یہ اسلئے نہیں کہ سمپورن تا سنگرام میں بہت بڑا یوگدان رہا ہے۔ بھارت کے "نو نرمان" میں بھی بہت یوگدان یہاں کے لوگوں کا رہا ہے۔ اس مدھیہ منڈ کو چلانے میں اس آندولن کو چلانے میں وہاں کی ہماری بہنوں نے۔ بھائیوں۔ پروت پتروں نے جو بھارت کے پتر ہیں بڑا یوگدان رہا ہے۔ اسکے لیے انہوں نے بہت بلیدان دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان لوگوں نے نشچت روپ سے "سمپورنتا" "سبھیتا" اور "دھیرے شیلتا" کا پریچے دیا ہے۔ لیکن اسکی بھی ایک سیما ہوا کرتی ہے پر میں مانتا ہوں کہ کبھی بھی شانتی پریہ ناگرک۔ اتراکھنڈ کے ہمارے پہاڑی انچل کے جو لوگ ہیں وہ نتھا کتھت روپ سے آج ناگا لینڈ میں جو ہو رہا ہے۔ گورکھا لینڈ میں جو ہو رہا ہے۔ کسی اور آنچل میں جو ہو رہا ہے وہ ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایک لوک تانترک سرکار ہے اس سرکار نے وعدہ کیا ہے۔ اس سدن میں کئی مرتبہ یہ معاملے آئے ہیں۔ اتر پردیش کی ودھان سبھا میں اس مسئلے کو ہم تین بار پرستاؤ کی صورت میں پاس

†] Transliteration in Arabic Script

آپ کی طرف سے یہ ٹائم باؤنڈ ایشورنس آنی چاہیئے - میری پارٹی کی طرف سے یہ مانگ ہے کہ سمے رہتے آپ سمیتیں اور اتراکھنڈ کے لوگوں کا - پہاڑ سے آنچل کے لوگوں کا جو حق ہے وہ انکو ملنا چاہیئے - ہم اپنی پارٹی کی طرف سے اس مانگ کا پورن سمرتھن کرتے ہیں -]

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Madam, the coming August 15th is a solemn day of independence. When the hon. Prime Minister makes a speech from the ramparts of the Red Fort, it attracts the attention of the whole nation and the Parliament. And, if any announcement is made, people are very expectant of ... *(interruptions)*...

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI (Uttar Pradesh): Madam, the hon. Home Minister was sitting here so patiently for so long but now ... *(interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): He is going just to have a glass of water. He will come back ... *(interruptions)*...

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली) : गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए **(व्यवधान)**

SHRI VAYALAR RAVI: The people of Uttarakhand or Uttar Pradesh are enthusiastic to have a speparate State but here the issue is a little wider. Madam, a lot of debate is going on for different Constitutional amendments. Even Article 356 is being challenged and a discussion on this is going on. So, the time has come to discuss creation of separate States. The hon. Member stated correctly that there are different kinds of States—small States, smaller States and

کر چکے ہیں لیکن نشچت روپ سے جبتک یہاں سے بل پاس نہیں جائیگا اس پر انومتی نہیں مل جائیگی - تب تک وہ پر کریہ ہی شروع نہیں ہوگی - گرہ منتری جی یہاں پر موجود ہیں اسکے پردھان منتری جی نے - یہ انکی کیبنٹ میں اسوقت بھی گرہ منتری بھی تھے جب دیوگوڑا جی نے لال قلعہ کی پراچیر سے یہ گھوشنا کی تھی - مجھے جہاں تک گیان ہے بل بن بھی چکا ہے - اسلئے یہ ایک آشوا سن تو آپ یہاں پر موجود ہیں - آنا ہی چاہیئے اس سترمیں - کل مانیہ پردھان منتری جی نے ۳۰ فیصد مہیلا آرکشن کے سمبندھ میں اس سدن میں یہ کہا کہ اسی سترکے اندر وہ بل آجائے گا - اس مانگ کے بارے میں جس پر بہت خون بہہ چکا ہے - مریادائیں مٹ چکی ہیں میں مظفر نگر کانڈ کی یاد دلانا چاہوں گا - میں سمجھتا ہوں سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں - تو ایسی استھتی میں صبر کا پیمانہ چھلکنے نہ پائے - سمے رہتے آپ کوئی گھوشنا کریں کہ اسی سترکے اندر یہ بل آجائے گا اور جو اتراکھنڈ راجیہ کی مانگ ہے - اتراکھنڈ کہئے یا اترا آنچل کہئے سب ایک ہی ہے - لیکن نشچت روپ سے راجیہ کے لوگوں کو اپنا راجیہ لینے کا حق ملنا ہی چاہیئے -

big States. Now the time has come to think whether it is necessary to have bigger States or to go in for smaller States. In 1957, we went in for linguistic States—all linguistic States are in the South. But here, Hindi is the language. The State had been constituted on the old British pattern but Sardar K.M. Panickar, was intellectual enough to foresee and demand, in a dissent draft, that Uttar Pradesh should be bifurcated. We cannot have such a big State in a country like ours. A bigger State can be divided into two or three smaller States, he suggested. Unfortunately, his demand was not accepted due to various reasons. The political scenario is changing in the country. Today, we have a different political situation in the country. This year we are completing fifty years of our independence. Now we have a completely different scenario. What kind of scenario? Different new political parties have emerged and new politicial parties are in power and there is a demand even for amendment of different provisions of the Constitution. Naturally, this new sitatuion is compelling us to have a rethinking on the reorganisation of the States, especially, in the northern part of the country. It looks inevitable. Madam, everybody knows that Punjab has been divided into two. Now, a demand has come for Uttarkhand. This Uttarakhand is one side of the story. But, merely making Uttarakhand a State will not solve the problem. We have to look into other aspect, i.e., to what extent we can have this part as a small States. And, Uttar Pradesh is a State which definitely needs to be bifurcated or divided by separating not only Uttarkhand, it shall be bifurcated into two or three other States. It is also necessary to have smaller States, if you see from a development angle. You can develop a State it is a smaller one.

Madam, I would like to add one more point. Mr. Narayanasamy, who is a good friend of mine, is not here. There are certain small Union Territories like Pondicherry ...(*Interruptions*)... Of course, Delhi also.

Delhi is a cosmopolitan city because it is the National Capital. But, we do not want to convert Delhi into Mumbai. ...(*Interruptions*)... Madam, I am not discussing about Gorkhaland here, nor am I in favour of that. I am saying that UP is a very big State. Former Prime Minister had made an announcement from the Red Fort that Uttarakhand would be carved out. Then, how can the Government back out?

I am supporting it because it was a solemn assurance to the nation. But, in the changed political scenario when there are discussions even on Article 356, I am putting forward a point whether it is advisable to have such a big State, or we should bifurcate it, divide it into small States for the sake of all-round development. We should bifurcate the State of UP into small States like Pondicherry and Delhi. But, Pondicherry is demanding Statehood, complete Statehood. So, on this occassion, it is necessary that we consider giving full Statehood to those small States also. The Government must appoint a Committee to look into this matter, so that we may create some more smaller States.

श्री सोमपाल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, प्रो॰ ध्यानी ने जो आज यहां बात उठायी है वह सारे राष्ट्र के संदर्भ में जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य वायालार रवि जी ने कहा आज संगत होती है। उत्तराखंड के संबंध में उत्तर प्रदेश की विधान सभा तीन बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को प्रेषित कर चुकी है इस निवेदन के साथ कि इस राज्य को अलग गठित कर दिया जाए, उसका निर्माण कर दिया जाए। यह एक बहुत पुरानी मांग रही है जैसे कि प्रो॰ ध्यानी ने कहा और 1938 का किसी का कथन उद्धृत किया। उनकी एक भिन्न प्रकार की संस्कृति रही है। उनकी भौगोलिक स्थिति भिन्न प्रकार की है। इसके लिए आवश्यक है कि अपनी उस अलग संस्कृति को संजोने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए वहां की जैविकी की विविधता और भौगोलिक जो उनकी सम्पत्ति है उसका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए उनका प्रशासन के ऊपर अपना अधिकार होना चाहिए। उनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए जिसमें अपने कामों के निर्णय वे स्वयं कर सकें। गत वर्ष प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की दीवार से उसकी घोषणा करके अपने स्वतंत्रता

समारोह के उद्बोधन में उसे राष्ट्रीय संकल्प और वचन की संज्ञा दे दी थी। इसके बावजूद भी यह नहीं हो पा रहा है प्रदेश का जो विधान मंडल है वह उसको कह चुका है और जनसंख्या, जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय सारे देश की केवल 33 करोड़ थी आज वह सौ करोड़ के करीब पहुंचने वाली है। यदि अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को लें तो वह 15 करोड़ है और यदि उसको अलग देश बना दिया जाए तो विश्व के क्रम में सातवां वह सबसे बड़ा देश होगा। इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने दूर-दूर उसके क्षेत्र हैं। अगर अकेले न्यायिक प्रशासन की बात माननीया लें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तराखंड से लगभग 800-900 किलोमीटर पड़ता है और इस प्रदेश में इसका ऐसा दुर्भाग्य है कि सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद एक ही उच्च न्यायालय वहां पर है और यदि देश के सारे उच्च न्यायालयों में लम्बित वादों की संख्या को आप लें तो अकेले उत्तर प्रदेश में सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार 33 से 36 प्रतिशत न्यायिक वाद जो हैं वे अकेले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित हैं। बार-बार कहने के बावजूद उसकी दूसरी पीठें नहीं बनायी जाती है। पर अगर राज्यों का पुनर्गठन हो जाए तो स्वतः अलग-अलग उच्च न्यायालय हो जाएंगे। तो चाहे वह प्रशासनिक व्यवस्था की सुलभता की बात हो चाहे न्यायिक प्रक्रिया और न्याय प्रशासन की सुलभता हो और उसे सस्ता और कम समय में प्राप्त करने की बात हो या लोगों के शासन तक पहुंच की बात हो या उस प्रदेश के विकास की बात हो-पहले तो यह तर्क दिया जाता था जब 1952 में माननीय पंडित नेहरू ने इन्हीं सदनों में घोषणा करके राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी जिसकी अभी वायालार रविजी ने चर्चा की जिसके बहुत बड़े तीन राजनेता, बहुत ही विख्यात चिंतक और महान प्रशासक सदस्य थे जिसमें जस्टिस फजल अली अध्यक्ष थे, माननीय हृदय नाथ कुंजरु और सरदार के० एम० पणिक्कर थे, उस आयोग ने रिपोर्ट दी थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उस समय यह उत्तराखंड उसमें सम्मिलित था, आज हम नहीं कहते क्योंकि वह एक मांग का रूप धारण कर चुका है और राष्ट्रीय संकल्प के रूप में हम सब उससे प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं... तो वह अलग बने। पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अकेला साढ़े चार करोड़ का एक अलग राज्य बन सकता है, पूर्वी आंचल बन सकता है, बुन्देलखंड की पुरानी मांग है। महाराष्ट्र में विदर्भ की दुर्गति है वह किसी से अछूती नहीं है। आप स्वयं माननीया उसी प्रदेश से आती है। उस प्रदेश में कितनी अपार सम्पत्ति है कितनी उपजाऊ भूमि है। ...(**व्यवधान**)

श्री संजय निरुपमः (महाराष्ट्र) आप विदर्भ और उत्तराखंड को एक साथ न रखें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री सोमपालः निरुपम जी, यह मेरी अपनी राय है। ...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): निरुपम जी, कोई जरूरत है आपको बोलने की ...(**व्यवधान**)

श्री संजय निरुपमः मैडम, अगर उत्तराखंड पर बहस हो रही है तो उत्तराखंड पर ही बात की जाए।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): सुनिए, आपको कुछ बोलने की जरूरत है इसमें अगर आपको अपने आपको सम्बद्ध करना है तो ठीक है, नहीं तो उनको बोलने दीजिएगा।

श्री संजय निरुपमः मैडम, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि उत्तराखंड और विदर्भ को एक साथ न रखा जाए विदर्भ अलग है और उत्तराखंड अलग है। दोनों की मांगों का आधार अलग है। ...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): ठीक है, दूसरों को अपने विचार व्यक्त करने से हम रोक नहीं सकते।

श्री सोमपालः उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने युवक साथी सांसद् जो महाराष्ट्र से आते हैं, मैं जानता हूं कि वह किस विचार के तहत यह बात कह रहे हैं, पर यह तो मैं पूरी संसद् के और सदन के और पूरे राष्ट्र के लिए एक विचार अपना प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं कोई उसको बनाने नहीं जा रहा हूं। आपकी राय भिन्न हो सकती है। आप उसे कह सकते हैं। आपका तर्क-वितर्क उसके विपक्ष में हो सकते हैं, पक्ष में हो सकते हैं। यह सदन इसी प्रकार विचार के अंतर्गत चलता है। मैं अपनी बात कह रहा हूं। जब आपका समय आएगा तो आप अपनी कहिएगा तो मैं यह कहना चाहता था कि एक समय था तो यह तर्क दिया जाता था कि राजस्व इतना नहीं होता और जो प्रशासनिक इकाई अलग-अलग बनेगी तो वे इतनी छोटी होंगी कि अपना खर्च चलाने के लिए सक्षम नहीं होंगी परन्तु जब से हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और पंजाब तथा खास तौर से पूर्वोत्तर राज्य जिनकी जनसंख्या के आंकड़े देकर ध्यानी जी ने अभी सदन का ध्यान आकर्षित किया उसके बाद यह तर्क निर्विवाद रूप से थोथा हो चुका है और यह सिद्ध हो चुका है कि हरियाणा प्रदेश जिस समय एक नवंबर 1966 से उसका निर्माण हुआ, गठन हुआ उस समय उसकी प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय से 1/3 थी और आज ढाई गुना के करीब

है। जबकि यदि सारी भौतिक संपदा और प्राकृतिक संपदा को लें तो हरियाणा 53 प्रतिशत तक रेगिस्तान है। उत्तर प्रदेश तो उसके मुकाबले में बहुत अच्छी तरह से है और ईश्वर की उसके ऊपर कृपा है। इतनी बड़ी नदियां हैं, इतनी उपजाऊ भूमि है, इतने शिक्षित लोग हैं। हरियाणा ने 1966 से लेकर अब तक जो प्रगति के मानदंड स्थापित किए हैं वे भी इस ओर इंगित करते हैं और इस बात को प्रमाणित करते हैं कि छोटे राज्य विकास की दृष्टि से भी निश्चित रूप से ज्यादा वांछित और अपेक्षित है। सरदार के० एम० पणिकर ने जो 9 पृष्ठों का नोट दिया था उसमें जो तर्क दिए हैं वे आज भी अकाट्य है। तो इन बातों के साथ मैं सदन के सभी पक्षों का इसमें ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सारी बातों के ऊपर और इस सारी विधा के ऊपर विचार करे और अभी हाल में हमने तो एक और पहल की है। बिहार की विधान सभा ने पहली बार झारखंड के निर्माण का सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया। वह भी एक मांग है। तो राज्यों के पुनर्गठन की बात के ऊपर दोबारा एक नई दृष्टि से, खुले मन से और स्वस्थ दृष्टि से लोगों को ठीक तरीके से प्रशासन मिले, सस्ता मिले, सुलभ हो, इस दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं पुनः आभार व्यक्त करते हुए कि आपने मुझे अवसर दिया।

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Madam, I am going to strike a note of discord. I am a bit scared because I would be putting forward my arguments...

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Madam, is it association or dissociating? (*Interruptions*)

SYED SIBTEY RAZI: Madam, either he should associate himself with this, or, if he has different views, he can express his views on some other occasion. How can he dissociate? (*Interruptions*)

SHRI JIBON ROY (West Bengal): On the same issue, there can be different viewpoints.

SYED SIBTEY RAZI: It would be belittling the importance of the Special Mention made by Mr. Dhyani.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Dr. Biplab Dasgupta, are you going to associate yourself with this Special Mention, or, you are going to dissociate with it?

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, I am giving my arguments.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): You better speak on this on some other occasion.

DR. BIPLAB DASGUPTA: On this issue, I have a few points to make. If they don't want me to make my points, I would sit down. (*Interruptions*). I don't have the lung power to compete with any of them.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: यह कोई डिसकशन तो है नहीं। ...(**व्यवधान**)

DR. BIPLAB DASGUPTA: Malhotraji, I can never compete with you in terms of lung power.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: It is not a question of lung power. I only wanted to know from the Chair. I raised the issue that this is only a Special Mention (*Interruptions*) If dissociation is allowed, it would become an endless debate. It is not a debate. It is only a Special mention where Members should associate themselves with it. If you differ...

SHRI JIBON ROY: On the same issue, opinion may differ.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: You can seek permission to speak on it another time.

DR. BIPLAB DASGUPTA: You dont' know what I am going to say. Do you know what I am going to say? You don't know.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: You have already said that you are going to disagree.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Note of discord!

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Dasguptaji, please sit down.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Madam, are you allowing him to dissociate?

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, what I am going to say is quite simple. I can understand the argument in favour of Uttarkhand. The argument is that Uttar Pradesh is a very big State.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: You don't give our argument; you give your argument.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Yes, I am coming to it.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: He is going to dissociate and say that it should not be allowed. ..*(Interruptions)*..

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Let him take care of his own argument. Why is he bothered about our argument?

SHRI JIBON ROY: Because our arguments are flowing out of your arguments. ..*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Chaturvediji, let him say it in a word. Dr. Dasgupta, please conclude within a minute.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, I am not going to take as much time as others have taken, but if they keep on interrupting me I cannot do anything. What I am saying is quite simple.

The question of reorganisation of States was discussed in an elaborate manner before 1956, and since then there have been a lot of changes. For example, Haryana had been created, Punjab had been created, as also some north-eastern States. But the majority of the States which you see now had come into being in 1956, following the report of the States Reorganisation Commission. Now the question is, if you take up the case of Uttarakhand, should we only take up one issue at a time and should we not take a comprehensive view of the problem in its totality? Now the question is, in each and every State there are regional movements, whether it is Andhra, Punjab, Bihar—everywhere.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Now, this Special mention is about Uttaranchal. So, please talk about that. Don't bring in all the States together; no. ...*(Interruptions)*...

DR. BIPLAB DASGUPTA: Should we take up one region at a time or is the time not appropriate for us to look at the issue taking everything into account at the national level? We belong to India—we don't belong to individual States—and there has to be a proper, comprehensive, national attitude towards this. Madam, the danger is this: If we start with Uttarakhand, why should not other regional movements take up this issue and compel us on this account? Then how can you stop the Gorkhaland movement, how can you stop the movement in Andhra and other regions? ...*(Interruptions)*...

SYED SIBTEY RAZI: Madam, I am on a point of order. The Special Mention was made for a particular State. If he has anything in his mind, he should impress upon his own people about it.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Dr. Dasgupta, I would like to say that the Special Mention is about a specific subject, that is, Uttarakhand. If you want to say something about Uttarakhand, please speak about that. But don't bring in any other State.

DR. BIPLAB DASGUPTA: If only they allow me to speak!

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): They are allowing you to speak, but you are on some other subject.

DR. BIPLAB DASGUPTA: As far as Uttrakhand is concerned, I know that Deve Gowdaji had made an announcement from the ramparts of the Red Fort. But as far as my party is concerned, at that very minute we dissociated ourselves with it, publicly: we said that we don't agree with that decision.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): That's okay

now. You have special views, that's all. What more do you want to say now?

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, what I am saying is that every action has a certain logic. Once you begin this process...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I think you should talk about this logic on some other occasion—but today is not that occasion. It's okay now. What you have said, you have said now. Whatever other things you want to say about Uttarakhand, please say all those things on a different occasion—that's all. There should not be any unpleasantness in the House—this is what I would appeal to you.

DR. BIPLAB DASGUPTA: All that I am saying is this: Once we begin this process of disintegration, India would be finished. Thank you very much.

5.00 म०प०

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: उपसभाध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि ...**(व्यवधान)**...

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, association does not mean dissociation. I will remember it. I hope the BJP Members will also remember it in future that association does not mean dissociation.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: On Special Mentions.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: On Special Mentions.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Please remember it. Don't qualify it.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: हम लोगों की स्मरण-शक्ति काफी अच्छी है, आप फिक्र मत करिए। मैं तो वेजिटेरियन हूं फिर भी स्मरण-शक्ति ठीक है।

श्री एस०एस० अहलुवालिया (बिहार): ब्राह्मी खाते हैं आप।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: हम ब्राह्मी खाते हैं और गम भी खाते हैं जब गाली होती रहती है, सुनते रहते हैं फेसिस्ट और वह फेसिस्ट आज काम कर रहे हैं फरीदाबाद में 500, जिन्होंने रेलवे में पैसेंजरों को...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): चतुर्वेदी जी, हम लोग अपने विषय में डिरेलमेंट नहीं करना चाहेंगे।

DR. BIPLAB DASGUPTA: He is going to Germany now.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: मैडम, मैं नहीं करना चाहता। ऐसा है कि हमारे प्रोफेसर बिप्लव दासगुप्त करना चाहते हैं एक नया डिरेलमेंट।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप उस बहकावे में मत आइए।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: नहीं, मैं बहकावे में नहीं आऊंगा।

उपसभाध्यक्ष महोदया, जो ध्यानी जी ने उत्तरखंड या उत्तरांचल की जो पीड़ा और वहां की जनता की पीड़ा और उनके दिलों में जो आक्रोश है, उसको व्यक्त किया है और उन्होंने यह भी कहा कि वहां के लोग फौज में काम करते हैं, अन्य स्थानों पर काम करते हैं और बहुत ही संयम से काम करते हैं और उनके धैर्य की सीमा का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए।

मैडम, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि क्योंकि हमारे देश की स्वतंत्रता की हम 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उस समय हमें चन्द्र सिंह गढ़वाली को भी याद रखना चाहिए।

वह इसी क्षेत्र के हैं, जिनकी प्रशंसा में गांधी जी ने बहुत कहा, राहुल सांस्कृतायन ने जीवन चरित्र लिखा फ्रंटियर में, जबकि अंग्रेजों ने कहा कि गोली चलाओ और चन्द्र सिंह गढ़वाली ने मना कर दिया और उसके बाद गढ़वाली रेजीमेंट डिसमेंटल की गई और उनको किस प्रकार की यातनाएं दी गई, यह हमें आज के दिन भूलना नहीं चाहिए। और वह किताब भी बिप्लव दासगुप्ता के पब्लिशिंग हाऊस ने, राहुल सांस्कृतायन की छापी है चन्द्र सिंह गढ़वाली की जीवनी। मैं एक और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से आंकड़े हमारे ध्यानी जी ने दिए हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। इसके जितने भी पक्ष थे, श्री बी० डी० पाण्डे ने, जो कि प्लानिंग कमीशन के सचिव भी रहे, केबिनेट सैक्रेटरी भी रहे, उन्होंने इस संबंध में दो लेख लिखे, मेन स्ट्रीम और सेमिनार में छपे और दूसरे अखबारों में छपे और उसमें जितने भी आर्थिक और सामाजिक पहलू हैं, उनको स्पष्ट कर दिया गया। मेरा निवेदन यह है कि हमारे ईश दत्त यादव जी की सरकार ने भी इसका समर्थन किया और उन्होंने प्रस्ताव भेजा। ...**(व्यवधान)**...

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): मैडम, हमारा नाम लिया गया है तो हमें भी समय दिया जाए।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका समर्थन किया और अभी जो इस समय हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, उन्होंने भी भेजा। पिछले साल जो इनसे पहले प्रधान मंत्री थे इसी पार्टी के या इसी यूनाइटिड फ्रंट के, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से यह घोषणा की थी कि यह हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। मगर दूसरा 15 अगस्त आने वाला है, वह राष्ट्रीय संकल्प पूरा क्यों नहीं हो रहा है? और मैं समझता हूं कि उसे पूरा करने के बजाए जले पर नमक छिड़का जा रहा है, हमारे आज के जो प्रधान मंत्री है, वह पंत यूनिवर्सिटी में जाकर यह कहते है कि अभी हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। यही नहीं, गृह मंत्री महोदय से इसी वजह से मैं निवेदन कर रहा था, जबकि मुझे बताया गया कि वह पानी पीने के लिए या किसी और आवश्यक काम से बाहर जा रहे हैं। मैं उन्हीं से यह पूछना चाहता था कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ...**(व्यवधान)**...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): What is this?

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: मुझे यही बताया गया था। मैंने यह कहा था। that he has been gracious enough to sit along. Let him sit for another fifteen minutes. कोई बात नहीं है, आप तो हैं उनकी प्रतिनिधि, तो कम से कम आप हमारी बात पहुंचा दीजिएगा और सतपाल जी हैं यहां पर। महोदया, आपके पास चिट्ठियां आई थीं, खून से लिखी हुई महिलाओं की चिट्ठियां आई थीं। यह चिट्ठियां मुजफ्फरपुर कांड से पहले आई थी। क्या हम उसको भूल गए? वह रोष आपके सामने है, वह आक्रोश आपके सामने है। उत्तराखंड राज्य बनने से कोई डिसइंटिग्रेटिंग प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी, इस तरह के सवाल उठाकर मैं समझता हूं कि देश को गुमराह किया जा रहा है। हमें छोटे राज्यों पर कोई ऐतराज़ नहीं है। हमने तो यह कहा था कि हमारी पार्टी छोटे राज्यों के पक्ष में है और हमने पहले भी यह कहा हुआ है कि अगर आप इस मांग को पूरा करना चाहते हैं तो तुरंत करें लेकिन इस तरह से जो यह मामला इतने दिनों से लंबित पड़ा हुआ है, इसे इस तरह न छोड़ें। मुझे खुशी है कि अब सिब्ते रज़ी साहब ने भी इसका समर्थन करना शुरू कर दिया है। वैसे पहले जब वे स्टेट मिनिस्टर थे तो थोड़ा उनका व्युप्वाइंट डिफरेंट था।

सैयद सिब्ते रज़ी: उस समय भी हमने प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हो पाए, यह बात दूसरी है। प्रयास हमने किया था।

†[شری سبط رضی: اس سمے بھی ہم نے پریاس کیا تھا لیکن سفل نہیں ہو پائے - یہ بات دوسرے ہی پریاس ہم نے کیا تھا-]

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: ठीक है, अपने स्तर पर उन्होंने प्रयास किया होगा। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और उसके लिए उनका अनुगृहीत भी हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस कौन से हैं? क्या कोई नया फाइनेंशियल कमीशन बनेगा? अगर बी०डी० पांडे के 2 कागज़ आप पढ़ लें तो आप जान जाएंगे कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या हैं। भारत सरकार का कोई भी डिप्टी सेक्रेटरी बता सकता है कि इसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या हैं, किस तरह से बंटवारा किया जाना चाहिए वे आपस में तय नहीं कर पाते हैं, इसके कारण तरह-तरह की भ्रांतियां हैं। अब युनाइटेड फ्रंट के प्रधानमंत्री का हैड ट्रांसफॉरमेशन हो गया है। हम अब एक नए प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं लेकिन उससे तो उनकी वचनबद्धता समाप्त नहीं हो जाती। इसलिए मैं आपसे पुनः यह निवेदन करना चाहता हूं कि न वहां पर योजनाओं का विकास हो रहा है चाहे वे बड़ी हों या छोटी हों, न कोई प्रशासनिक कामकाज हो रहा है। प्रशासन के सब दफ्तर खाली पड़े रहते हैं। वहां पर दवाइयां नहीं मिलती हैं। यह सब इस सदन में आ चुका है। वहां लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा शक्कर, चावल कुछ नहीं मिलता है। यह स्थिति है। वहां पर महिलाओं का ठेकेदारों के द्वारा शोषण किया जा रहा है और वहां की जनता और महिलाओं ने इसका विरोध किया है। इसलिए मैं फिर आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि युनाइटेड फ्रंट सरकार इस सवाल को दूसरे सवालों से न जोड़े,जो भी उनके विचार हों सामने रखे, जो भी डा० बिप्लव दास गुप्ता के विचार हैं, वे सामने रखें। वैसे तो उन्होंने पी०सी० जोशी को कहा है जनवादी लेकिन उसमें भी अलग-अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं ...**(व्यवधान)**...

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, earlier you were questioning the relevance of the points made. Is the hon.

†] [Transliteration in Arabic Script

Member making relevant points while talking of German; and Shri P.C. Joshi?

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: अच्छा मान लीजिए कि हमने मुरली मनोहर जोशी का जिक्र किया, पी० सी० जोशी का नहीं किया। वैसे मैं उनका बड़ा आदर करता हूं और बहुत अच्छी तरह उनको जानता हूं।

मेरा निवेदन है कि इस मामले को पैंडिंग न रखा जाए, बाहर निकाला जाए और तरह-तरह के जो बहाने बनाए जा रहे हैं इसको टालने के, मैं समझता हूं कि उन पर रोक लगनी चाहिए और तुरंत इस 15 अगस्त को श्री इन्द्र कुमार गुजराल की सरकार को इसकी घोषणा करनी चाहिए और वे इंटरव्यू भी बहुत देते हैं, इसलिए इंडरव्यू में भी वे इस बात की घोषणा करें जिससे वास्तव में जनता को लगे कि यह सरकार जो कहती है, उसको करना चाहती है और वह उसके लिए बहानेबाजी नहीं करेगी। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मेरे पास बहुत से नाम हैं उत्तराखंड के मामले पर अपने आपको सम्बद्ध करने के लिए। अब 5 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं। हमें इसको कंटीन्यू करना है या अहलुवालिया जी के बोलने के बाद आप दूसरे स्पैशल मैंशंस भी लेना चाहते हैं?

श्री सतीश अग्रवाल (राज्यस्थान): उत्तराखंड का विषय तो आज समाप्त कर दीजिए। बाकी पैंडिंग रखिए।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): सभी लोग बोलेंगे तो मैं कुछ भी नहीं सुन पाऊंगी।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Please let me hear her.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, I am on a point of information. We will finish the discussion on Uttarakhand and then the House will rise. I just want to know whether that is what we are going to do.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Yes. ...*(Interruptions)*...

SHRI SATISH AGARWAL: What does she say?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I just wanted to know whether the House would continue after the Uttarakhand mention.

SHRI SATISH AGARWAL: The House may adjourn after all the special mentions are over.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Do you want me to finish all the special mentions today? Okay. I have no problem. ...*(Interruptions)*...

SHRI SATISH AGARWAL: Madam, I have been waiting for my motion. My motion for a discussion on Bihar was listed at 2.30 p.m. But I am yielding in favour of other Members because you directed from the Chair that the special mentions would be taken up at 3 p.m. I am waiting since then.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Therefore, Bihar is going to be taken up tomorrow.

SHRI SATISH AGARWAL: Tomorrow is Friday. It may be taken up on Monday or Tuesday whichever suits the hon. Home Minister.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: After the special mentions, we adjourn.

SHRI SATISH AGARWAL: Yes.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, it is already ten minutes past five. By the time we complete this Uttarakhand issue, it will be 5.45 p.m.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Biplab Dasguptaji, I wanted to take the sense of the House. Would the House like to sit till all the special mentions are over?

SHRI SATISH AGARWAL: Yes.

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मैंने यही पूछा सदन से कि सारे स्पेशल मेंशन जो हैं वह आज ही हमें खत्म करने हैं। मैं कह रही थी। अभी हो क्या रहा है सारा क्रॉस हो रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और सबकी गलत-फहमी होती जा रही है और अगर चेयर के बारे में गलत-फहमी होगी तो और मुसीबत आ जाएगी।

DR. BIPLAB DASGUPTA: As the Minister has suggested, let us conclude the Uttarkhand part of the discussion and then rise.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): We have to take up all the special mentions today. *(Interruptions)*.

SHRI SATISH AGARWAL: Madam, three or four hon. Members from my party are waiting for the past four days. That is why I did not insist on my motion. *(Interruptions)*.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Special mentions will be taken up. *(Interruptions)*. Mr. Satish Agarwal, with your permission, may I ask Mr. S.S. Ahluwalia to associate himself on the Uttarakhand issue?

SHRI SATISH AGARWAL: Yes, Madam.

श्री एस०एस० अहलुवालिया: उपसभाध्यक्ष महोदया, ध्यानी जी ने जो उत्तराखंड का विषय उठाया है वह महत्वपूर्ण विषय है और बहुत दिनों से यह मांग चली आ रही है कि पर्वतीय जिलों को लेकर एक राज्य का गठन हो सके। उस इलाके के लोगों का तब उत्साह बढ़ गया था जब देश के प्रधान मंत्री ने लालकिले की प्राचीर से इसकी घोषणा की थी कि हम गठन करेंगे। महोदया, उत्तराखंड का वह इलाका जहां कभी हमारे वेद-पुराणों के माध्यम से हमारे महादेव शिव विचरण किया करते थे और इस सारी सृष्टि की संरचना देखी थी। यह वह इलाका है महोदया, जयां सिखों के दसवें गुरु गोविन्द सिंह जी ने तपस्या साथी थी हेमकुंड पर्वत पर और उस इलाके से जुड़ा हुआ है और यह इलाका पूरे देश के लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है और इस इलाके के राज्य के गठन के लिए जो मांग यहां से चलती आई है और जब-जब मांग उठी है लोगों के मन में उत्साहवर्धन हुआ है कि वह इलाका और भी मजबूत राज्य बन सके और वहां वाकई महादेव से लेकर गुरु गोविन्द सिंह जी का जो स्थान है उसकी भी संरचना होती रहे।

महोदया, किन्तु मुझे थोड़ा सा अफसोस इस बात का है कि पिछले दिनों जैसा कि ध्यानी जी ने भी बताया, पिछले दिनों कुछ क्षेत्रीय दलों की मांग की कि ऋषिकेश से बदरीनाथ, रानीखेत से नैनीताल और मसूरी से धनौल्टी के इलाके में 1980 के बाद जो लोग बसे हैं, उनको वहां बसने नहीं दिया जाएगा। कुछ आतंक ऐसा फैला कि उत्तराखंड राज्य जब बनेगा तो वहां एक आदमी को जमीन रखने की क्षमता सिर्फ ढाई एकड़ रहेगी। पर्वतीय क्षेत्र में तो यह संभव है किन्तु तराई के क्षेत्र में यह संभव नहीं है। महोदया, मैं यह मुद्दा आपके माध्यम से इसलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि हम पचासवीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं देश की आजादी की। परन्तु देश में जो विस्थापित हुए लोग आजादी के साथ-साथ पंजाब और बंगाल में हैं, उनकी भी यह पचासवीं वर्षगांठ है। जो लोग उस वक्त विस्थापित हुए, उनको बसने के लिए उत्तराखंड के इस तराई के इलाके में भी जाना पड़ा। भारत सरकार ने इसका निर्णय लिया और उन जंगलों में उन्हें भेजा जहां शेर और चीते थे, जहरीले सांप थे, जहरीले जानवर थे और खूंखार जानवर थे। वहां विस्थापित सिखों और पंजाबियों को जो वैस्टर्न पंजाब से आए थे जहां पाकिस्तान अभी बना है, वहां के लोगों को वहां पर स्थापित किया गया और उनको यहां रहने के लिए कहा गया। एक तरफ तो कौमी जनून के हाथों वह अपनी जिंदगी बचाकर आए थे और दूसरी तरफ उनके कैम्प वहां लगाए गये। उन्हें जमीनों का आबंटन वहां किया गया तथा कहा गया कि यहां रहो और यहीं अपनी रोजी-रोटी जंगल में चलाओ, जंगल में कंदमूल फल-फूल जो भी मिलता है, वही खाकर अपना जीवन चलाओ। महोदया, वह इलाका जाने लायक नहीं था। हाथी से ऊंची-ऊंची घास वहां थी। हाथी जब वहां चलता था तो उसका पता नहीं चलता था, इतनी ऊंची घास थी, दरख्त तथा जंगलों की तो बात ही दूर की है पर मेहनतकश पंजाबियों ने उस इलाके को साफ करके, जंगली जानवरों से मुक्त करके, विषैले जानवरों से, सांपों से मुक्त करके आज उसे दूसरे पंजाब में परिवर्तित कर दिया है। महोदया, वहां जो आतंक फैला हुआ है कि उनको फिर से विस्थापित कर दिया जाएगा उसकी वजह से चारों तरफ आतंक है। टेलीग्राम पर टेलीग्राम वहां के लोगों के आ रहे हैं और वह यह बात उठा रहे हैं कि हमें उस आयते में लाने की कोशिश की जा रही है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिस वक्त कैप्टन कंवलजीत सिंह, वित्त मंत्री, पंजाब सरकार वहां के दौरे पर गये और उन्होंने आकर जब प्रैस कॉन्फ्रैंस की और बताया कि जब मैंने वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाने की कोशिश की तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक वहां के वित्त मंत्री को मिलने नहीं गये।

भा०ज०पा० पंजाब में उनके साथ शरीक है, उत्तर प्रदेश में ब०स०पा० के साथ शरीक है और भा०ज०पा० के साथ शरीक सरकार का वित्त मंत्री तराई के इलाके का

दौरा कर रहा हो और उस वक्त वहां का एस०डी०एम० या सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट, एस०डी०ओ०, बी०डी०ओ० या डी०एम० उनके साथ न जाएं और लोगों की गुहार सुनने के लिए तैयार न हों। महोदया, इस पर लेख पर लेख क्षेत्रीय पंजाब के अखबारों में लिखे जा रहे हैं और एक अखबार में यह पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब कैप्टन कंवलजीत सिंह ने मायावती से मुलाकात की तो मुख्य मंत्री ने कहा कि वहां कोई आतंक नहीं है क्योंकि केन्द्रीय मंत्री रामूवालिया और कांग्रेसी सांसद एस०एस० अहलुवालिया ने वहां जाकर दौरा करके मुझे रिपोर्ट दी है कि वहां पर कोई आतंक नहीं है। महोदया, मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि मैं मायावती जी को नहीं जानता। मैं पिछले पांच साल से उनका पड़ोसी हूं। वह मेरे पड़ोस में रहती थीं। मैं दस नम्बर गुरुद्वारा रकाबगंज रोड में रहता हूं और वह 12 नम्बर में रहती थीं। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं किन्तु जब से वह मुख्य [illegible] बनी हैं, तब से उनके दर्शन मैंने नहीं किये। परन्तु यह बात अखबार में छपी कि एस०एस० अहलुवालिया ने तराई के इलाके के बारे में ऐसा बयान दिया। महोदया, मैं इस चीज को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बार-बार इस गुहार को सामने रखा जाता है। यह स्वर्ण जयंती है, पचास साल हो गये हैं देश को आजाद हुए। आप इन पचास साल की खुशियों के साथ उन आंसुओं को भी देखिए जिनके घर पचास साल पहले उजड़ गये, जिनका सब कुछ छिन गया। आज उनके भी पचास साल हो गये हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत बनायी है।

आज फिर 50 साल में, जो स्वर्ण जयन्ती का वर्ष है आज फिर उनका घर लुटने जा रहा है। मेरे को यह आश्वासन चाहिए, यह आश्वासन केन्द्र सरकार से चाहिए, यह आश्वासन मुझे यू०पी० की सरकार से चाहिए कि वहां के पंजाबियों के साथ कोई भी गलत कदम नहीं उठाया जाएगा। जिन पंजाबियों ने उन जंगलों और जंगलातों को स्वर्ग में परिणत किया है, पता नहीं कितने पंजाबी शहीद हुए हैं उन जंगली जानवरों से लड़ते हुए, और कई विषैले सांपों के द्वारा काटने पर मारे गये, उन्होंने उस स्थान को स्वर्ग में परिणत किया है तो आज उनको आश्वासन चाहिए। हम पूरी तरह से पंजाब के लोग हर वक्त मांग करते हैं कि मोर अटानामी टू स्टेट। पंजाब के लोग आपका समर्थन उत्तराखंड में भी करेंगे। उनको पर्दों के तले दलित करके, पर्दों के तले रौंदकर आप राज्य का गठन नहीं कर सकते। कुछ क्षेत्रीय दल ऐसी मांग उठा रहे हैं। और जो ये क्षेत्रीय दल यह मांग उठा रहे हैं, उनको विस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जमीनों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। सीलिंग एक्ट में ला करके, 18 एकड़ जमीन सबके पास रहती है, वहीं उनके पास में कहा जा रहा है कि उन्हें ढाई एकड़ के दायरे में लाओ, छोटे-छोटे कर दो, मर जाएं, सारे खत्म हो जाएं भाग जाएं। यह अन्याय नहीं होना चाहिए। महोदया, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, सदन से मांग करता हूं कि यह अन्याय उनके साथ नहीं होना चाहिए। यही मेरी गुहार है और उनकी गुहार आपके द्वार पर है। मैं उत्तराखंड के मसले पर पार्टी के तौर पर, स्वयं के तौर पर पूरी मदद में हूं और समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदया, मोटे तौर पर उत्तराखण्ड का समर्थन सदन में और सदन के बाहर सब तरफ हो रहा है। सरकारों ने भी आवश्यक प्रस्ताव पास किए हैं, केन्द्र के प्रधान मंत्री की तरफ से भी सार्वजनिक घोषणा हुई है। केवल कुछ औपचारिकताएं निभाने के लिए समय बढ़ता चला जाए यह किसी के हित में नहीं है। पहले भी इस विषय पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, आर्थिक साधनों की व्यवस्था क्या होगी, इसके बारे में विचार हो चुका है। उत्तरांचल स्वयं एक इकनामिकली वायबल स्टेट बन सकता है, यह एक आम धारणा है एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंसयली भी। और इस कारण जैसा कि कहा गया कि लोगों की पेसेंस को अब ज्यादा थकाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। लोग उतावले हो रहे हैं, आश्वासनों की पूर्ति न होने की वजह से अनेक शक्तियां वहां पर विभिन्न प्रकार की धारणाओं को पैदा करने का काम कर रही हैं। और फिर हम परिस्थिति कैसे सुलझाई जाए इस मामले में लगे, यह उचित नहीं होगा। मैं यह मानता हूं कि दूसरा स्टेट रि-आर्गेनाइजेशन कमीशन बैठना चाहिए। लेकिन जहां पर एक ही राज्य के अन्दर विभाजन का सवाल हो और वर्तमान सारा राज्य एकमत से उस विभाजन की स्वीकृति दे रहा हो, इसमें री-आर्गनाईजेशन कमीशन की आवश्यकता नहीं। अगर ये दूसरे किसी राज्य की सीमा में से कुछ हिस्सा निकाल कर इसको बड़ा बनाने की बात होती या कहीं दो राज्यों की सीमाओं में डिस्टरबेंस पैदा करने वाली बात होती तो यह बात समझ में आ सकती है कि स्टेट री-आर्गनाईजेशन कमीशन उसके लिए काम करे। उसकी मांग भी ओवरड्यू है और जितनी जल्दी दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित हो जाएगा, बहुत से पेंडिंग सवाल, बहुत से आपस के तनाव जो नेबरिंग एरियाज में पैदा हो रहे हैं उनको हल करने में आसानी हो जाएगी। इसलिए स्टेट री-आर्गनाइजेशन कमीशन दूसरा बनाया जाय। इसलिए दूसरा री-आर्गनाइजेशन कमीशन बनाया

जाए, यह मांग अपनी जगह रहते हुए भी उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से कार्व-आउट किया जा सकता है। वहां की विधान सभा ने इसके लिए बार बार प्रस्ताव पास किए हैं। अर्थात् यह डिसइंटीग्रेशन नहीं है। Disintegration is the biggest distortion of the whole subject. अगर बाकी उत्तर प्रदेश में यह आवाज उठी होती कि अलग प्रदेश नहीं होना चाहिए तब किसी पर आक्षेप लगाया जा सकता है या नहीं, इसका विचार हो सकता था। लेकिन जब कि आज की एक्जिस्टिंग उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने, जिसमें उत्तरांचल भी शामिल है, उसके विधायक उनके प्रतिनिधि हैं, उसके प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में हैं, अगर वे एक स्वर से अलग राज्य बनाने की इजाजत देते हैं तो यह री-आर्गनाइजेशन है। इसमें कहीं भी डिस-इन्टीग्रेशन का भाव पैदा करना यह शरारत है और इसे देश हित की बात नहीं कही जा सकती है। इस कारण केंद्र सरकार को अब इस प्रश्न पर और ज्यादा समय न गवांकर तत्काल इसके गठन की घोषणा करनी चाहिए। ज्यादा अच्छा होगा अगर इसी 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से उत्तरांचल का गठन कर दिया गया है, इस बात की घोषणा कर दें। धन्यवाद।

श्री ईश दत्त यादव: मैडम, श्री ध्यानी जी ने सरकार से जो मांग रखी है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। मैडम, मैं उत्तर प्रदेश का हूं। हमारी पार्टी की सरकार भी वहां थी और आज जो रक्षा मंत्री जी हैं, मुलायम सिंह जी वह वहां के मुख्य मंत्री थे। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने भी विधान सभा से प्रस्ताव पारित कराया था और उस प्रस्ताव में यह था कि उत्तराखंड में कितने जिले रहेंगे, कितना उसका क्षेत्रफल रहेगा, राजधानी कहां बनेगी, प्रशासनिक दृष्टि से कौन अधिकारी रहेंगे। ये सारी बातें थीं। जब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उनकी तरफ से भी प्रस्ताव पास किया गया था। हमारे और उनके प्रस्ताव में केवल नाम का अंतर है। वह उत्तरांचल कहते हैं और हम उत्तराखंड कहते हैं। उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाया जाए इसका पूरे प्रदेश में, और मैं समझता हूं कि पूरे देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसका विरोधी हो कि उत्तराखंड न बनाया जाए। उत्तराखंड के लोगों की मांग बिल्कुल सही है। भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सामाजिक दृष्टि से और राजनैतिक दृष्टि से भी उनकी समस्यायें पूरे प्रदेश से भिन्न है। उत्तर प्रदेश सचमुच में एक बड़ा प्रदेश है। प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र हैं उनसे पहाड़ी क्षेत्रों की समस्यायें भिन्न हैं। इसलिए उनका अलग राज्य होना चाहिए, वह लोग यह मांग कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में एक भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर रहा है। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जितने भी राजनैतिक दल हैं, कोई भी राजनैतिक दल उत्तराखंड का विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन, मैडम, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सरकार क्यों मौन साधे हुए है। केंद्र की जो सरकार है इस सरकार को क्या कठिनाई पैदा हो रही है। अगर इसमें क्षेत्रवाद की भनक आती, अगर इसमें तनाव की बात आती, लड़ाई की बात आती, विरोध की बात आती तो सरकार इस पर विचार कर सकती थी। लेकिन जब यह निर्विवाद मामला है और जब कि उसका सीमांकन करना भी बहुत आवश्यक नहीं है क्योंकि प्राकृतिक दृष्टि से उत्तराखंड की जो सीमा है सरकार को उसी को मान लेना चाहिए।

महोदया, माननीय भंडारी जी, माननीय चतुर्वेदी जी और अन्य लोगों ने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि 15 अगस्त को वे इसकी विधिवत घोषणा कर दें और इस सदन में यह घोषणा कर दें कि फलां तारीख से, अमुक तिथि से उत्तराखंड राज्य स्थापित हो जाएगा और वहां अलग राज्य की व्यवस्था हो जाएगी, इसकी वे घोषणा कर दें। भारत सरकार के पास बहुत संसाधन हैं। वह सारी व्यवस्था घंटों में कर सकती है। एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे में सारी व्यवस्था हो सकती है।

ज़िले बनते हैं, एक घंटे के अन्दर वहां डी० एम० और एस० एस० पी० पोस्ट कर दिये जाते हैं, नये ज़िले का काम शुरू हो जाता है। यह प्रदेश सरकारें करती हैं। भारत सरकार के लिए यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। प्रधानमंत्री जी घोषणा करें और दूसरे दिन उत्तराखंड राज्य अलग से कायम हो जाए लेकिन मैडम श्री बिप्लब दासगुप्त जी जब बोल रहे थे तो इनकी बात का भी मैं समर्थन कर रहा हूं। सोमपाल जी हमारे मित्र हैं, विद्वान मित्र हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश की एक अलग मांग उठा दी कि उत्तर प्रदेश के और टुकड़े होने चाहियें। मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं और उत्तर प्रदेश के अन्दर...**(व्यवधान)**

श्री सोमपाल: यह कोई नयी मांग नहीं उठी है। यह तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की है। ...**(व्यवधान)**

श्री ईश दत्त यादव: सोमपाल जी इतिहास की बात कर रहे हैं और मैं मौजूदा लोगों की बात कह रहा हूं। उत्तराखंड के अलावा पूरा प्रदेश एक रहना चाहता है, यूनाइटेड रहना चाहता है, कोई पूरे उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं चाहता है। एक भी व्यक्ति नहीं चाहता है, इतिहास की बात को न दोहरावें, मैं सोमपाल जी से यह कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में एक भी व्यक्ति तैयार नहीं है कि उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश का कोई बंटवारा होना चाहिये। इसलिए बिप्लब दासगुप्त जी की जो बा..

है कि यहां पर केवल उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड की घोषणा हो जानी चाहिये और पूरे देश में और प्रदेश बनाए जाएं या नहीं बनाए जाएं, इसके लिए अलग आयोग बनेगा, विचार करेगा, तब देखा जाएगा। आज यह समय नहीं है। अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अहलुवालिया जी बोल रहे थे, बिलकुल सही बात बोल रहे थे। मुझे ऐसी जानकारी है। उत्तर प्रदेश में रहने के नाते मैं भारत सरकार से मांग करूंगा, उत्तर प्रदेश की सरकार से भी मांग करूंगा कि जिन लोगों ने अपने खून और पसीने से, त्याग और बलिदान से अपना जीवन समर्पित करके अपना निवास स्थान बनाया है, अपनी सम्पत्ति बनाई है उनकी सम्पत्ति, उनके जीवन और उनकी प्रतिष्ठा की उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को दोनों को रक्षा करनी चाहिये। आपके माध्यम से मैं वहां के सिख भाइयों को आश्वासन देना चाहता हूं और अहलुवालिया जी को भी आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोई नौबत आएगी तो हमारी समाजवादी पार्टी हर कुर्बानी करेगी उनकी हिफाज़त करने के लिए और उनके हकों की रक्षा करने के लिए। धन्यवाद।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: यह आशंका ही निर्मूल है और आश्वासन की कोई ज़रूरत नहीं है। **(व्यवधान)**

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: उपसभाध्यक्ष महोदया, एक मिनट।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): देखिये, सब लोग बोलना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: मुझे सिर्फ एक बात कहनी थी। **(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): ऐसा हो रहा है कि चतुर्वेदी जी बोले, भंडारी जी बोले, आप भी बोलेंगे, उधर से भी मांग आ रही है। ऐसे तो यह विषय खत्म ही नहीं होगा।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: महोदया, मुझे सिर्फ आपसे यह बात कहनी थी कि यह बात बार-बार अहलुवालिया जी ने उठाई है, आपने भी ज़िक्र किया है। वहां पर जो उत्तराखंड राज्य बनेगा उसमें इस समय भी पूरा बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है, 19 में से 18 सीटें हैं, इसके बारे मे भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है कि चाहे पंजाब से आए हुए विस्थापित हों या मैदानी इलाके के रहने वाले लोग हों, उन सब को वहां जो रहते हैं, वह सब उत्तराखंड के वासी हैं। उनके साथ एक जैसा व्यवहार हो, किसी भी तरह का उनके साथ भेदभाव किया जाए या उनको वहां से हटाने की बात की जाए, यह पूरी निराधार बात है। ऐसा कभी होगा नहीं, न इसको होने दिया जाएगा। वहां पर यू०पी० की सरकार का ज़िक्र किया गया है, वहां की सरकार ने इसको स्पष्ट किया है कि आज भी यह बात नहीं है कि उन लोगों को वहां से निकाल दिया जाएगा। मुझे केवल इतनी बात कहनी थी कि वीटो पावर उत्तराखंड के बारे में सी०पी०एम० के हाथ में नहीं रहनी चाहिये। सारा प्रदेश मांग कर रहा है, बाकी सब मांग कर रहे हैं केवल एक सी०पी०एम० के विरोध के कारण प्रधानमंत्री जी आज तक इस घोषणा को रोक रहे हैं, इस कारण से घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, यह वीटो पावर सी०पी०एम० के हाथ से निकाल कर सारे देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी घोषणा करें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश): कोई पोलिटिकल माइलेज नहीं लेना चाहिये। ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): काफी देर से चल रहा है। मीणा जी आप एक मिनट में अपनी बात खत्म करियेगा।

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदया, यह जो चर्चा चल रही है, इसमें अहलुवालिया जी ने सिख भाइयों की कुछ समस्याएं उठाई। राज्य बनने से समस्याएं पैदा नहीं होती। लोगों की भावनाएं, लोगों के दिल और दिमाग सही हैं तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद मैं यह समझता हूं कि वहां रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब चारों ओर से और विधान सभा ने विचार रख दिया अलग राज्य बनाने के लिए इस हाउस के अंदर हर दल का विचार है कि उत्तराखंड बनाना चाहिए तो फिर ऐसी कौन सी समस्या रह जाती है। इस देश के प्रधान मंत्री 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा करते है उत्तराखंड राज्य बनाने की। फिर दूसरे लोगों को विश्वास कैसे रहेगा इस देश के प्रधान मंत्री के ऊपर, प्रधान मंत्री के आश्वासन के ऊपर कि देश का प्रधान मंत्री भी इतना बड़ा असत्य बोल सकता है...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप देश के प्रधान मंत्री के ऊपर के विश्वास के बारे में बोल रहे हैं या उत्तराखंड के बारे में बोल रहे हैं।

श्री मूलचन्द मीणा: मैं उत्तराखंड के बारे में बोल रहा हूं मैडम। लेकिन प्रधान मंत्री जी उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए लोगों को लाल किले से आवश्वासन दें और उसके बाद उत्तराखंड राज्य नहीं बने, इससे लोगों के मन में प्रधान मंत्री के पद की जो गरिमा है उसके प्रति एक अंदेशा होता है, एक संदेह पैदा होता है कि यह

प्रधान मंत्री का पद कितना महत्वपूर्ण है लेकिन कैसे लोग आ जाते हैं, किस तरह की घोषणा करते हैं। तो मैं हाउस के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भूतपूर्व प्रधान मंत्री के आश्वासन की ओर और कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य की घोषणा करनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य बनाना चाहिए जिससे कि पर्वत के एरिया में रहने वाले लोगों को जो मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर जाते हैं यदि उनके राज्य के अंदर उनको मेहनत और मजदूरी के साधन मिलेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य पंजाब की तरह ही विकासशील और विकसित राज्य बनेगा। लेकिन साथ में मैडम मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस देश के अंदर छोटे राज्य बनाने की बातें कई जगह से उठी हैं। उत्तराखंड पर्वत के लोगों की मांग है। जरूर उत्तराखंड बनाना चाहिए। लेकिन झारखंड आदिवासियों की भी मांग है। झारखंड राज्य उसके साथ बनना चाहिए। वह भी विधान सभा ने पास किया है कि झारखंड राज्य बने।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): उसके लिए तो अलग से स्पेशल मेंशन दीजिए। अभी तो उत्तराखंड के बारे में बोलिए। झारखंड के बारे में आप सेपरेट नोटिस दीजिएगा।

श्री मूलचन्द मीणा: मैं सरकार का ध्यान उत्तराखंड और झारखंड दोनों की ओर दिलाना चाहूंगा। यही बात मैं कहना चाहता हूं और मेरी ओर से पूर्ण भावनाएं हैं कि उत्तराखंड राज्य निश्चित रूप से बने और इसी सेशन में बने। इसी सेशन के अंदर सरकार एक बिल लाए और इस प्रकार का संगठन या गठन हमने उत्तराखंड का किया है इस प्रकार की घोषणा इस सदन में कर दें तो यह अच्छा होगा कि पूर्व प्रधान मंत्री की जो भावना थी और देश के लोगों मे जो विश्वास था वह विश्वास पूरा होगा। यही मैं कहना चाहता हूं।

Closure of cement factories of Churk, Chunar and Dalla

श्री रामरतन राम (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद मैडम। पांच दिनों की प्रतीक्षा के बाद मुझे स्पेशल मेंशन का यह प्रश्न उठाने का जो आपने मौका दिया है उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। अपने विषय पर बोलने के पहले मैं श्री ध्यानी जी के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): अपने ही विषय पर बोलें।

श्री रामरतन राम: तथा अहलुवालिया जी और ईश दत्त यादव जी द्वारा जो विचार प्रकट किए गए हैं उनका समर्थन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं।

महोदया, अभी तक आपने उत्तराखंड के समर्थन की, स्थापना करने की बात की थी। उस पर विचार हो रहा था और मैं मिर्जापुर और सोनभद्र में जो तीन फैक्ट्रियां स्थापित हो रही हैं उसकी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पहले मिर्जापुर जिले में इंडस्ट्रियल, औद्योगिक उत्थान के लिए चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण कराया गया। फिर डाला सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण कराया गया और सबसे बाद में चुनार सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण कराया गया, यह समझकर कि मिर्जापुर जिले में लाइम स्टोन के पहाड़ों की असीमित सप्लाई है जिससे कि सीमेंट बनता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए तीन सीमेंट फैक्ट्रियों का निर्माण किया गया है और उनमें करीब 6 हजार मजदूर काम करते हैं। लेकिन वित्तीय अव्यवस्था के कारण तीनों फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर हैं। और यहां तक कि बी.आई.एफ.आर. ने 2 जुलाई, 1997 को यह आदेश कर दिया कि तीनों फैक्ट्रीज़ बंद कर दी जाएं। इसमें 6 हजार रेगुलर नियमित कर्मचारी काम करते हैं और 9 हजार कर्मचारी करीब ऐसे हैं जो विभिन्न ठेकेदारों के यहां काम करते हुए या जो एडहॉक बेसिस पर कर्मचारी काम कर रहे हैं या जो कैजुअल लेबर पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, कुल मिला कर 15 हजार परिवार इससे सम्बद्ध हो गया है और करीब एक लाख मजदूर इन फैक्ट्रीज़ के बंद हो जाने पर प्रभावित होंगे और ये भुखमरी के शिकार होंगे जिस समय चुनार फैक्टरी का निर्माण हुआ था उस समय तकनीकी टैक्नीकल व्यक्तियों की भर्ती के लिए सारे प्रदेश और सारे देश के लोग इसमें आए थे और डाला और चुनार सीमेंट फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, साउथ के भी काफी हैं, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, कर्णाटक, केरल के लोग भी यहां पर काम करते हैं और अधिक दिन काम करने के कारण वे यहां पर बस भी गए हैं। उनमें यह समस्या हो गई है कि फैक्टरी बंद होने पर ये कहां जायेंगे?

महोदया, ये तीनों फैक्ट्रीज़ की वित्तीय व्यवस्था जो बिगड़ रही थी उस समय की तत्कालीन सरकार ने इनको प्राइवेट हैंड्ज़ में बेचना चाहा, और बेच भी दिया था और उनसे इकरारनामा लिखाया गया था कि वे किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं करेंगे। लेकिन मजदूर और मजदूरों के नेताओं ने इसको नहीं माना और जब डाला फैक्टरी में प्राइवेट औद्योगिक घराने के लोग कब्जा लेने के लिए गए तो वहां मजदूरों ने विशाल प्रदर्शन किया।